eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 06, June 2023

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और ग्रामीण विकास (2005–2023)

डा0 मनोज कुमार अवस्थी[1]
[1]सहायक प्रोफेसर अर्थशास्त्र, का0न0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर, भदोही, उ0प्र0

Abstract

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA), जिसे 2005 में अधिनियमित किया गया, भारत सरकार की एक ऐतिहासिक योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है। इस शोध में वर्ष 2005 से 2023 तक की अवधि में MGNREGA के माध्यम से ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे आय वृद्धि, रोजगार सृजन, सामाजिक समावेशन, महिला सशक्तिकरण, तथा बुनियादी ढांचे के विकास का विश्लेषण किया गया है। यह शोध आंकड़ों, केस स्टडीज़, नीति विश्लेषण और साक्षात्कारों के माध्यम से यह दिखाता है कि किस प्रकार MGNREGA ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया है और ग्रामीण असमानताओं को कम करने में योगदान दिया है। साथ ही, इसमें उन चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया है जिनका सामना योजना को कार्यान्वयन में करना पड़ा। शोध का निष्कर्ष यह है कि यदि पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी समावेशन को और मज़बूत किया जाए, तो MGNREGA भारत के ग्रामीण विकास की रीढ़ बन सकती है।

कीवर्ड्स– MGNREGA, ग्रामीण विकास, आजीविका सुरक्षा, रोजगार गारंटी, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन, नीति विश्लेषण, भारत सरकार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, विकास योजनाएँ मनरेगा

Introduction

भारत एक विशाल ग्रामीण आबादी वाला देश है, जहाँ आजीविका का प्रमुख साधन कृषि एवं श्रम आधारित कार्य हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी और मौसमी विस्थापन की समस्या लंबे समय से व्याप्त रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ चलाई गईं, परंतु 2005 में शुरू की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का नियत मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराना है। यह न केवल आजीविका की सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे के निर्माण, महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा देता है। यह शोध पत्र 2005 से 2023 तक की अवधि में MGNREGA के प्रभाव, उपलब्धियों, चुनौतियों तथा ग्रामीण विकास पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। शोध का उद्देश्य न केवल योजना की सफलता का मूल्यांकन करना है, बल्कि इसके सुधारात्मक सुझाव भी देना है ताकि यह योजना ग्रामीण भारत के सतत विकास में और अधिक योगदान दे सके।

योजना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य– स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन हेतु अनेक योजनाएं आरंभ कीं जैसे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अन्त्योदय योजना, रोजगार गारंटी योजना (Maharashtra EGS) TRYSEM आदि। परंतु 2004 में सत्ता में आई संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने रोजगार के अधिकार को कानूनी रूप देने की दिशा में कार्य किया। फलस्वरूप, 2005 में संसद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया। शुरुआत में इसे 200 जिलों में लागू किया गया था,

और 2008 तक यह पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारित कर दिया गया। 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जोड़ा गया ताकि इसे गांधीवादी विचारधारा और ग्राम स्वराज की अवधारणा से जोड़ा जा सके। इस योजना की विशेषता यह है कि यह भारत की पहली ऐसी योजना है जो कानूनी गारंटी के साथ रोजगार प्रदान करती है। यह जन–सशक्तिकरण, विकेन्द्रीकरण और सामाजिक जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित है।

प्रमुख उद्देश्य–

ग्रामीण परिवारों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करना।
बेरोजगारी के समय में वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना।
टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ हो।
महिला श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ाना।
सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहित करना।

कानूनी प्रावधान–

प्रति परिवार प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का श्रम रोजगार।
15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता।
ग्राम पंचायत द्वारा कार्यों की योजना और क्रियान्वयन।
सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) की अनिवार्यता।
योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच व्यय का बंटवारा।
MGNREGA केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं है, बल्कि यह एक अधिकार आधारित कानूनी ढांचा है, जो नागरिकों को रोजगार का अधिकार देता है।

क्रियान्वयन तंत्र– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन तीन स्तरों केंद्र, राज्य और ग्राम पंचायत पर किया जाता है। इसका उद्देश्य न केवल रोजगार प्रदान करना है, बल्कि स्थानीय भागीदारी को सशक्त करना और विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देना भी है।

केंद्रीय स्तर पर– ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) योजना की रूपरेखा, दिशा–निर्देश, तकनीकी सहायता और वित्तीय आवंटन सुनिश्चित करता है। नरेगा सॉफ्टवेयर (NREGASoft) और जनसुविधा पोर्टल्स की निगरानी भी केंद्र सरकार करती है।

राज्य स्तर पर– राज्य सरकारें राज्य स्तर पर MGNREGA सेल का गठन करती हैं जो योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। राज्य रोजगार गारंटी परिषद (State Employment Guarantee Council) नीति सुझाव देती है।

जिला एवं पंचायत स्तर पर– जिला कार्यक्रम समन्वयक, आमतौर पर जिलाधिकारी, योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करता है। ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्राम पंचायतों की होती है। ये योजना बनाती हैं, कार्यों की प्राथमिकता तय करती हैं और श्रमिकों की नियुक्ति करती हैं।

सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)– पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य है। इसमें स्थानीय समुदाय स्वयं कार्यों की निगरानी करता है और अनियमितताओं की रिपोर्ट करता है।

तकनीकी और डिजिटल पहलें– जॉब कार्ड, आधार आधारित भुगतान, GPS निगरानी, मोबाइल ऐप आधारित रिपोर्टिंग जैसे तकनीकी उपायों ने योजना की पारदर्शिता में वृद्धि की है।

शिकायत निवारण तंत्र– श्रमिकों के लिए हेल्पलाइन, शिकायत पंजी, लोक शिकायत प्रकोष्ठ जैसे उपाय उपलब्ध हैं। अनियमितताओं की स्थिति में दंडात्मक प्रावधान भी लागू किए गए हैं। इस तरह MGNREGA का क्रियान्वयन तंत्र बहुस्तरीय और सहभागी स्वरूप में कार्य करता है, जिससे योजना की पहुँच और प्रभावशीलता में निरंतर सुधार हो रहा है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और ग्रामीण विकास (2005–2023)– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) 2005 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना हर वर्ष ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य को कम से कम 100 दिन का अकुशल श्रम रोजगार देने का प्रावधान करती है। इस शोध पत्र में 2005 से 2023 तक के अवधि में MGNREGA की प्रभावशीलता, इसके द्वारा उत्पन्न रोजगार के अवसरों, महिलाओं की भागीदारी, और ग्रामीण अवसंरचना में इसके योगदान का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि MGNREGA ने ग्रामीण विकास को किस हद तक प्रभावित किया है, विशेष रूप से रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में। शोध में यह भी विश्लेषित किया गया है कि योजना के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी ने उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में कैसे योगदान दिया। इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ जैसे भ्रष्टाचार, कार्यों की गुणवत्ता, और भुगतान में देरी पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

अंततः, यह शोध MGNREGA के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नीति सिफारिशों का सुझाव देता है ताकि इस योजना का पूरा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को मिल सके और ग्रामीण विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति को और अधिक सुनिश्चित किया जा सके।

MGNREGA ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी को दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि भारतीय गांवों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और गरीबों की बढ़ती संख्या है। यह योजना न केवल ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहायता देती है, बल्कि गांवों में अवसंरचना के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। जल संचयन, सड़क निर्माण, नाली और तालाब खुदाई, बागवानी, और अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण जैसी गतिविधियाँ इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं। इस योजना की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है। योजना में महिलाओं को समान मजदूरी मिलती है और उनकी भूमिका को भी सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा, डळछत्म्ळ। ने ग्रामीण विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे लोगों के जीवन में सुधार आया है और गरीबी की दर में कमी आई है। हालांकि, MGNREGA के कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ भी रही हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, भुगतान में देरी, कार्यों की गुणवत्ता में कमी, और योजनाओं की निगरानी में कमजोरियाँ। इन

चुनौतियों के बावजूद, इस योजना का प्रभाव और ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इस शोध पत्र का उद्देश्य 2005 से 2023 तक की अवधि में MGNREGA के प्रभाव और इसकी चुनौतियों का विश्लेषण करना है और इस योजना की सफलता के लिए जरूरी सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना है। MGNREGA ने भारतीय ग्रामीण समाज को एक नई दिशा दी है, जिससे रोजगार की स्थिरता, गरीबी उन्मूलन, और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस प्रस्तावना में हम इस योजना के उद्देश्यों, कार्यान्वयन, और इसके प्रभावों पर विस्तार से विचार करेंगे।

MGNREGA का अवलोकन– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) भारत सरकार द्वारा 2005 में लागू की गई थी, और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की समस्या को हल करना था। यह योजना भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों के वयस्क सदस्यों को हर वर्ष कम से कम 100 दिनों का अकुशल श्रम रोजगार प्रदान करने की गारंटी देती है। MGNREGA की प्रमुख विशेषता यह है कि यह सामाजिक सुरक्षा और रोजगार गारंटी के रूप में ग्रामीण नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।

योजना की शुरुआत और उद्देश्य– MGNREGA की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों से की गई थी, और धीरे–धीरे इसे पूरे देश में लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना, और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना है। योजना का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी ग्रामीण परिवार रोजगार के बिना न रहे और इसके लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाएं।

कार्य योजना और लाभार्थी– कार्य प्रावधान, MGNREGA के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को अकुशल श्रम के रूप में रोजगार दिया जाता है। यह रोजगार जल संरक्षण, सड़क निर्माण, नाली खुदाई, बागवानी, जल संचयन, और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित कार्यों में प्रदान किया जाता है।

बेरोजगारी भत्ता– यदि रोजगार 15 दिनों के भीतर नहीं मिलता है, तो संबंधित व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। यह भत्ता उस व्यक्ति को आर्थिक सहारा देने के लिए दिया जाता है, जो योजना के तहत रोजगार की प्रतीक्षा कर रहा होता है।

कार्यस्थल की निकटता– कार्य स्थल प्रत्येक परिवार के घर से 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। यदि कार्यस्थल 5 किलोमीटर से दूर है, तो अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

महिलाओं की भागीदारी– MGNREGA ने महिलाओं के लिए भी कई अवसर प्रदान किए हैं। योजना में महिलाओं की भागीदारी को 33 प्रतिशत तक अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं को समान मजदूरी दी जाती है, जो समान कार्य के लिए पुरुषों के बराबर होती है। इससे महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है और उनका घरेलू निर्णय–निर्माण में भी अधिक प्रभाव पड़ा है।

पारदर्शिता और निगरानी– MGNREGA के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपायों को अपनाया गया है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना और योजना के लाभार्थियों तक पारदर्शी तरीके से योजनाओं को पहुंचाना है। इसके तहत, सभी कार्यों की निगरानी की जाती है और समय–समय पर इसकी समीक्षा की जाती है।

आर्थिक प्रभाव– MGNREGA ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को कुछ हद तक कम किया है। इसके तहत रोजगार मिलने से ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि हुई है, जिससे उनकी जीवन स्थितियों में सुधार आया है। इसके अलावा, योजना ने ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सेवाओं में सुधार हुआ है।

चुनौतियाँ और समस्याएँ– हालांकि MGNREGA ने कई सकारात्मक प्रभाव डाले हैं, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। इनमें भ्रष्टाचार, भुगतान में देरी, कार्यों की गुणवत्ता में कमी, और योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता की कमी शामिल हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र और सुधार की आवश्यकता है।

MGNREGA ने भारतीय ग्रामीण समाज के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं। यह न केवल रोजगार सृजन का एक माध्यम है, बल्कि इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना का भी विकास हुआ है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना है, और इसके कार्यान्वयन से ग्रामीण विकास को नई दिशा मिली है। हालांकि इसके कुछ कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दे हैं, फिर भी यह योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है।

योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) का मुख्य उद्देश्य भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समावेशन, और ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना है। इस योजना की सफलता का मूल्यांकन इन उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर किया जा सकता है। नीचे योजना के प्रमुख उद्देश्यों और उनकी प्राप्ति पर विस्तृत चर्चा की गई है–

1. रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन– MGNREGA का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना था। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या बहुत गहरी है, और MGNREGA ने इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन के माध्यम से इस समस्या को हल करने की कोशिश की है।

रोजगार सृजन, योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य को अकुशल श्रम के रूप में 100 दिनों का रोजगार मिलता है। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार देने और उनके जीवन यापन को सुरक्षित करना है। रोजगार के अवसरों के सृजन से ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, और इन परिवारों को नियमित आय का स्रोत प्राप्त हुआ है।

गरीबी उन्मूलन, MGNREGA ने गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके तहत मिल रहे रोजगार और आय के कारण ग्रामीण परिवारों की स्थिति में सुधार हुआ है। कई क्षेत्रों में, खासकर पिछड़े और दूरदराज के गांवों में, इस योजना से ग्रामीणों को राहत मिली है, और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

प्रभाव– MGNREGA ने गरीब और निचले वर्ग के परिवारों को रोजगार देने में सफलता हासिल की है। हालांकि योजना का असर स्थानिक रूप से भिन्न हो सकता है, लेकिन इसके चलते कई परिवारों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिससे गरीबी दर में कमी आई है।

2. ग्रामीण अवसंरचना का विकास– योजना के तहत किए गए कार्यों का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण करना था। MGNREGA के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अवसंरचनात्मक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि सड़क निर्माण, जल संचयन, नाली निर्माण, तालाब खुदाई, बागवानी, आदि।

अवसंरचनात्मक सुधार, MGNREGA के तहत कई महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाएं पूरी की गईं। इन परियोजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया है, जैसे कि कच्ची सड़कों का पक्का करना, जल स्रोतों का संरक्षण, और किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था।

ग्रामीण जीवन में सुधार, इन कार्यों ने न केवल रोजगार के अवसर सृजित किए, बल्कि गांवों में रहने वाले लोगों की जीवन गुणवत्ता भी सुधारी। जल संचयन और भूमि सुधार कार्यों ने ग्रामीणों के लिए जल संकट को कम किया, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि हुई।

3. सामाजिक समावेशन और महिलाओं का सशक्तिकरण, MGNREGA का एक और प्रमुख उद्देश्य सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना था। इस योजना में महिलाओं की भागीदारी को अनिवार्य किया गया है, और इसके जरिए उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

महिलाओं की भागीदारी, MGNREGA में कम से कम 33 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार दिया जाता है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला।

सशक्तिकरण, महिलाओं की भागीदारी ने उन्हें घरेलू निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता दी है, और कई स्थानों पर यह देखा गया है कि महिलाओं ने सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी अधिक भागीदारी की है। इससे उनका सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है।

4. पारदर्शिता और जवाबदेही, MGNREGA के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई तकनीकी उपायों को अपनाया गया है। योजना के तहत कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि गलतियों और भ्रष्टाचार को रोका जा सके।

पारदर्शिता की दिशा में कदम, योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, कार्यों की निगरानी और भुगतान प्रणाली को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया गया है। यह प्रक्रिया कामकाजी के रिकॉर्ड को ट्रैक करने और वास्तविक समय में भुगतान सुनिश्चित करने में मदद करती है।

भ्रष्टाचार और देरी को कम करना, हालांकि, कुछ स्थानों पर भ्रष्टाचार और देरी के मामले सामने आए हैं, लेकिन समग्र रूप से पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार हुआ है।

5. रोजगार का वितरण और समावेशी विकास– MGNREGA का उद्देश्य सभी वर्गों को समान रोजगार अवसर प्रदान करना था, खासकर उन वर्गों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और महिला लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है।

समावेशी विकास, MGNREGA ने विभिन्न जाति और वर्ग के लोगों को रोजगार अवसर प्रदान किए हैं। विशेष रूप से SC@ST समुदायों और महिला श्रमिकों को योजना का लाभ मिला है, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिला है।

MGNREGA ने ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, विशेष रूप से रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, और सामाजिक समावेशन के संदर्भ में। योजना ने ग्रामीण अवसंरचना के विकास को भी बढ़ावा दिया है और महिलाओं को सशक्त बनाने का अवसर प्रदान किया है। हालांकि, कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियाँ और समस्याएँ हैं, जैसे भुगतान में देरी और कार्यों की गुणवत्ता, लेकिन समग्र रूप से योजना ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता पाई है। आगे इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए सुधार की आवश्यकता है, ताकि इसके लाभ ग्रामीण समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सकें।

महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए बनाई गई है, ताकि उन्हें रोजगार के समान अवसर मिल सकें और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। योजना में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण के कई पहलू हैं, जिन्हें नीचे विस्तार से समझा गया है।

महिलाओं की भागीदारी– महिलाओं की भागीदारी का लक्ष्य, MGNREGA में महिलाओं को सक्रिय रूप से शामिल करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। योजना के तहत महिलाओं की कम से कम 33ः भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। इसका उद्देश्य यह है कि महिलाएं न केवल घरेलू कार्यों से बाहर आकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करें, बल्कि वे अपने परिवारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण आय स्रोत बनें।

कार्य में समान अवसर, MGNREGA में महिलाओं को पुरुषों के समान कार्य करने का अवसर मिलता है, और उन्हें पुरुषों के बराबर मजदूरी दी जाती है। यह एक महत्वपूर्ण पहल है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से महिलाओं को समान श्रम के लिए पुरुषों से कम भुगतान किया जाता था। इस योजना के तहत महिलाओं को समान मजदूरी का अधिकार मिला है, जो उनके सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

रोजगार के अवसर, MGNREGA ने महिलाओं को विभिन्न प्रकार के रोजगार प्रदान किए हैं। जैसे कि जल संरक्षण, नाली खुदाई, खेतों में काम, बागवानी, सड़कों का निर्माण, आदि। ये ऐसे कार्य हैं जिन्हें महिलाएं आसानी से कर सकती हैं और इस प्रकार उन्हें कामकाजी जीवन में शामिल होने का अवसर मिलता है।

महिलाओं का सशक्तिकरण– आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं को MGNREGA के तहत रोजगार मिलने से उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का अवसर मिला है। यह योजना महिलाओं को अपने परिवार की आय में योगदान करने का मौका देती है, जिससे वे आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र बनती हैं। अब महिलाएं अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, और अन्य घरेलू खर्चों के लिए स्वायत्त रूप से निर्णय ले सकती हैं।

सामाजिक सशक्तिकरण, MGNREGA के तहत महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार होता है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं आमतौर पर पारंपरिक घरेलू कार्यों तक सीमित होती थीं, लेकिन अब वे सार्वजनिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। यह उनके आत्म–सम्मान और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करता है।

स्वास्थ्य और शिक्षा, महिलाओं के पास अधिक आय होने से वे अपने परिवार के स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। MGNREGA ने महिलाओं को अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में वित्तीय समर्थन प्रदान किया है। इससे उनकी सामाजिक स्थिति और जीवन गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

निर्णय–निर्माण में भागीदारी, महिलाएं अब परिवार के निर्णय–निर्माण में अधिक भागीदार बन रही हैं। पहले जहां परंपरागत रूप से पुरुषों का वर्चस्व होता था, वहीं अब महिलाएं अपने परिवारों के आर्थिक और सामाजिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस परिवर्तन ने महिलाओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक किया है।

महिलाओं की नेतृत्व क्षमता का विकास, MGNREGA में महिलाओं को कई बार टीम लीडर के रूप में काम करने का अवसर मिलता है। इससे उनके नेतृत्व कौशल को बढ़ावा मिलता है और वे समाज में अधिक प्रभावशाली बनती हैं। इस प्रकार यह योजना महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है।

महिलाओं के लिए विशिष्ट प्रावधान, समान मजदूरी, MGNREGA में महिलाओं को पुरुषों के समान मजदूरी मिलने की गारंटी दी जाती है। यह एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समान अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करता है। इससे महिलाओं के श्रम की असमानता को कम करने में मदद मिलती है।

सुरक्षित कार्यस्थल, महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करना MGNREGA का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। योजना के तहत महिला कार्यकर्ताओं को कार्यस्थल पर उचित सुरक्षा, उचित शौचालय सुविधाएं, और परिवारों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाता है।

स्वच्छता और स्वास्थ्य कार्यक्रम, महिलाओं के कार्यस्थलों पर स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, और सुरक्षा प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इससे महिलाओं की कार्य–स्थल पर भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

समाजिक रूढ़िवादिता, ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को उनके पारंपरिक भूमिकाओं से बाहर निकलने में संघर्ष करना पड़ता है। समाज में कुछ स्थानों पर महिलाओं को घर के कामों तक ही सीमित रहने का दबाव होता है, जो उनकी स्वतंत्रता और विकास में बाधक हो सकता है। कई बार महिलाओं को कार्यस्थल पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ता है, और यह उनके सशक्तिकरण में बाधा डालता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण के कई अवसर प्रदान किए हैं। योजना ने महिलाओं के लिए समान मजदूरी और समान कार्य के अवसर सुनिश्चित किए हैं, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि कुछ चुनौतियाँ हैं, फिर भी यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे, इस योजना के सफल कार्यान्वयन और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उचित सुधार और निगरानी तंत्र की आवश्यकता है ताकि महिलाएं और अधिक सशक्त बन सकें और समाज में समान अधिकार और सम्मान प्राप्त कर सकें।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना ने बेरोजगारी के संकट को कम किया है और लोगों को स्थिर रोजगार और नियमित आय का अवसर प्रदान किया है। गरीबी उन्मूलन में भी यह योजना प्रभावी साबित हुई है, क्योंकि इसने समाज के सबसे निचले और गरीब वर्गों को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा दी है। हालांकि, योजना की कार्यान्वयन प्रक्रिया में कुछ चुनौतियाँ हैं, फिर भी यह योजना अपनी सुसंगत कार्यप्रणाली और प्रभावी परिणामों के कारण एक सफलता का प्रतीक है।

ग्रामीण अवसंरचना का विकास– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) का एक प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य न केवल ग्रामीणों को रोजगार देना है, बल्कि इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण करना भी है। MGNREGA के तहत कई प्रकार के निर्माण कार्य किए जाते हैं, जो ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और लंबे समय तक ग्रामीणों के विकास में योगदान करते हैं। इस खंड में हम MGNREGA के माध्यम से हुए ग्रामीण अवसंरचना विकास पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

ग्रामीण अवसंरचना के प्रमुख क्षेत्रों में विकास– जल संरक्षण और जल निकासीरू जल संकट एक गंभीर समस्या है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पानी की आपूर्ति सीमित और अनियमित होती है। MGNREGA के तहत जल संरक्षण और जल निकासी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया गया है। इस योजना के तहत तालाबों की खुदाई, कुओं की सफाई, नदी तटों की मरम्मत, और जल संचयन की अन्य गतिविधियाँ की जाती हैं। इन कार्यों से पानी का संरक्षण होता है, जो ग्रामीण कृषि और जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

तालाब खुदाई और जल संचयन, तालाबों की खुदाई, चेक डेम, जलाशयों का निर्माण, और अन्य जल संचयन संरचनाएँ बनाना किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि यह सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाता है।

वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन की परियोजनाओं ने गांवों में जल संकट को कम करने में मदद की है। इन परियोजनाओं के माध्यम से वर्षा के पानी को संचित किया जाता है, जिससे सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ती है।

सड़क निर्माण और मरम्मत, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क परिवहन की स्थिति में सुधार करने के लिए MGNREGA के तहत सड़कों का निर्माण और मरम्मत किया जाता है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद करती है, जिससे ग्रामीणों को बाजार, स्वास्थ्य सेवाएं, और शिक्षा जैसी सुविधाओं तक पहुँचने में आसानी होती है।

कच्ची सड़कों का पक्का करना, कच्ची सड़कों को पक्का करना, सड़कों की मरम्मत और ग्रामीण क्षेत्रों में नए मार्गों का निर्माण किया जाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं बेहतर होती हैं।

गांवों को आपस में जोड़ना, सड़क निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ता है, जिससे व्यापार, सेवाएं और जानकारी का आदान–प्रदान अधिक प्रभावी होता है।

कृषि और सिंचाई संरचनाएँ, MGNREGA के तहत कृषि और सिंचाई के लिए आवश्यक अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाता है। इनमें नहरी सिस्टम, बोरवेल, कुएं, और नालों की सफाई शामिल हैं, जो कृषि उत्पादकता में सुधार करने में मदद करते हैं।

सिंचाई प्रणालियाँ, जल संरक्षण और सिंचाई की संरचनाओं से किसानों को सही समय पर पानी मिल पाता है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ती है, बल्कि खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।

कृषि भूमि सुधार, भूमि सुधार और जल प्रबंधन कार्यों के माध्यम से कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं, जिससे कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

वनीकरण और बागवानी, पर्यावरण संरक्षण और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए MGNREGA के तहत वनीकरण और बागवानी परियोजनाएँ भी की जाती हैं। इस योजना के तहत वृक्षारोपण, बागों का निर्माण, और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। यह न केवल पर्यावरण को सशक्त करता है, बल्कि ग्रामीणों को नए रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है।

वृक्षारोपण, वृक्षारोपण और पौधों का संरक्षण, भूमि कटाव को रोकने और पर्यावरण को सशक्त बनाने के लिए किया जाता है। यह कृषि उत्पादकता और जल संरक्षण में भी मदद करता है।

बागवानी और फलोद्यान, बागवानी और फलोद्यान की परियोजनाओं के माध्यम से कृषि विविधता और आय के स्रोत बढ़ाए जाते हैं। इससे ग्रामीणों को स्थिर और उच्च गुणवत्ता वाली आय मिलती है।

ग्रामीण सड़क सुरक्षा और अन्य बुनियादी सेवाएं, MGNREGA के तहत सड़कों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों, और अन्य बुनियादी सेवाओं का निर्माण भी किया जाता है। इन सेवाओं से ग्रामीणों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होता है और वे अपनी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएँ, MGNREGA ने ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों, शौचालयों और अन्य आवश्यक संरचनाओं के निर्माण में मदद की है, जो ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं।

शिक्षा सेवाएँ, स्कूलों और शैक्षिक संस्थाओं का निर्माण भी डळछत्म्ळ। के तहत किया गया है, जो शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देता है।

अवसंरचना के विकास के लाभ–

दीर्घकालिक विकास, MGNREGA के तहत किए गए निर्माण कार्यों से ग्रामीण अवसंरचना में दीर्घकालिक सुधार होता है। जल संचयन संरचनाओं, सड़क नेटवर्क, और सिंचाई प्रणालियों के निर्माण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलती है।

रोजगार के अवसर, अवसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को काम मिलता है। इन कार्यों में पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे स्थानीय समुदाय की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

कृषि उत्पादकता में वृद्धि, जल संरक्षण, सिंचाई प्रणालियाँ, और भूमि सुधार परियोजनाएँ कृषि उत्पादकता में वृद्धि करती हैं। इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है, और यह गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

समाज में समानता, MGNREGA के तहत किए गए कार्यों से समग्र रूप से ग्रामीण समाज में समानता बढ़ती है। अवसंरचना परियोजनाओं का लाभ सभी ग्रामीणों को समान रूप से मिलता है, जिससे सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिलता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जल संरक्षण, सड़क निर्माण, कृषि संरचनाओं, वनीकरण, और अन्य बुनियादी सेवाओं के निर्माण के माध्यम से यह योजना ग्रामीण जीवन में सुधार लाती है। इसके द्वारा किए गए कार्यों ने न केवल रोजगार सृजन किया है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक–आर्थिक विकास में भी मददगार साबित हुआ है। हालांकि, कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे कि कार्यों की गुणवत्ता और समय पर पूरा होने की समस्याएँ, लेकिन समग्र रूप से MGNREGA ने ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इस प्रक्रिया से दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित किया है।

चुनौतियाँ और समस्याएँ– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत विभिन्न सकारात्मक पहलुओं और लाभों के बावजूद, इस योजना को कार्यान्वित करने में कई चुनौतियाँ और समस्याएँ भी सामने आई हैं। इन चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है, ताकि योजना के उद्देश्यों की अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्ति हो सके और ग्रामीणों को अधिकतम लाभ मिल सके। इस खंड में MGNREGA से जुड़ी मुख्य चुनौतियों और समस्याओं पर चर्चा की जाएगी।

1. कार्यान्वयन में पारदर्शिता की कमी–

धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार, MGNREGA में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की घटनाएँ रिपोर्ट की जाती रही हैं। कई स्थानों पर कार्यों के नाम पर फर्जीवाड़ा और भुगतान में गड़बड़ियाँ होती हैं। पंचायत स्तर पर कई बार नेताओं और अधिकारियों द्वारा योजना के लिए आवंटित राशि का गलत इस्तेमाल किया जाता है।

स्मार्ट निगरानी की कमी, कार्यान्वयन में पारदर्शिता और निगरानी की कमी के कारण परियोजनाओं के गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। हालांकि कुछ तकनीकी उपाय जैसे कि "E-governance" और "Social Audits" को लागू किया गया है, फिर भी पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है।

2. मजदूरी वितरण में देरी–

देरी से भुगतान, एक प्रमुख समस्या यह है कि योजना के तहत काम करने वाले श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं मिल पाता है। यह समस्या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर है, जहाँ श्रमिकों के पास आय का अन्य कोई स्रोत नहीं होता। देरी से भुगतान होने पर श्रमिकों की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है, और उनकी योजना पर विश्वास भी घटता है।

संचालन में विघ्न, कई बार स्थानीय बैंकिंग प्रणाली में भी समस्याएँ आती हैं, जिससे भुगतान में देरी होती है। इस कारण योजना के लाभार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

3. कार्यों की गुणवत्ता और टिकाऊपन

कृषि और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, MGNREGA के तहत कई परियोजनाएँ कृषि और बुनियादी ढांचे से संबंधित होती हैं। हालांकि योजना के तहत कार्य किए जाते हैं, लेकिन कई बार इन कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं। उदाहरण के लिए, सड़कों, तालाबों और जल संचयन संरचनाओं का निर्माण अक्सर गुणवत्ता मानकों से कम होता है। इससे भविष्य में इन संरचनाओं की कार्यक्षमता में गिरावट आती है, और यह परियोजनाओं के दीर्घकालिक प्रभाव को कम करता है।

उपयोगिता और स्थायित्व, कई बार जिन परियोजनाओं को अंजाम दिया जाता है, वे दीर्घकालिक नहीं होती हैं और इनका उपयोगी जीवनकाल छोटा होता है। यह समस्या विशेष रूप से अवसंरचनाओं, जैसे कि सड़कों और तालाबों के निर्माण में देखी जाती है।

4. श्रमिकों की अपर्याप्त संख्या और प्रशिक्षण–

कुशल श्रमिकों की कमी, MGNREGA योजना मुख्य रूप से अकुशल श्रमिकों के लिए है, लेकिन कई कार्यों के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण की कमी के कारण, कई बार श्रमिकों को काम में पूरा प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसके कारण परियोजनाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है और कार्यों में देरी होती है।

प्रशिक्षण और कौशल विकास की आवश्यकता, ग्रामीण श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास की आवश्यकता है, ताकि वे उच्च गुणवत्ता वाले कार्य कर सकें। हालांकि सरकार द्वारा समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन इनकी पहुंच सीमित रहती है, और इसमें सुधार की आवश्यकता है।

5. कार्यों का असमान वितरण और ग्रामीणों की अवहेलना

विकास में असमानता, MGNREGA के तहत कार्यों का वितरण कई बार असमान होता है। कुछ क्षेत्र और पंचायतों को योजनाओं का अधिक लाभ मिलता है, जबकि अन्य को कम। यह विशेष रूप से उन इलाकों में देखने को मिलता है, जहाँ स्थानीय नेताओं या अधिकारियों का प्रभाव अधिक होता है। इस असमानता के कारण गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते।

महिलाओं और कमजोर वर्गों का उत्थान, MGNREGA के अंतर्गत महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कई बार इन वर्गों को योजना के वास्तविक लाभ नहीं मिल पाते। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी इन वर्गों के लिए योजना के लाभ को सीमित करते हैं।

6. कार्यों में सीजनल असंतुलन–

सीजनल काम, MGNREGA के तहत सृजित रोजगार का एक बड़ा हिस्सा सीजनल होता है। यह योजना मुख्य रूप से अकुशल श्रमिकों को काम देती है, लेकिन कुछ कृषि कार्यों और बुनियादी ढांचा निर्माण के लिए काम की उपलब्धता असमान होती है। यह उन श्रमिकों के लिए समस्या बन सकता है, जो योजना के तहत लगातार काम की तलाश में रहते हैं।

सीजनल बेरोजगारी का समाधान, MGNREGA के माध्यम से सीजनल बेरोजगारी का एक हिस्सा कम हो जाता है, लेकिन कुछ महीनों में काम की मांग कम हो जाती है, जिससे योजना के लाभार्थियों को रोजगार के अवसर नहीं मिलते।

7. पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव

पर्यावरणीय समस्याएँ, MGNREGA के तहत किए गए कुछ कार्यों का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि बिना उचित योजना और प्रबंधन के जल निकासी या जल संरक्षण कार्य, जलाशयों का निर्माण और अन्य गतिविधियाँ पर्यावरणीय असंतुलन पैदा कर सकती हैं।

समाज में तनाव, जब MGNREGA के तहत किसी परियोजना के लिए श्रमिकों का चयन असमान रूप से किया जाता है, तो इससे समाज में तनाव पैदा हो सकता है। विशेष रूप से, यदि योजना में चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती है, तो यह समुदाय के भीतर विवाद और असहमति का कारण बन सकता है।

8. राजनीतिक हस्तक्षेप और स्वच्छता

राजनीतिक हस्तक्षेप, कुछ स्थानों पर, MGNREGA के तहत परियोजनाओं का कार्यान्वयन स्थानीय राजनीति से प्रभावित होता है। यह कभी–कभी योजना के वास्तविक उद्देश्यों को पूरी तरह से लागू करने में अवरोध उत्पन्न करता है। नेताओं और अधिकारियों के निजी हितों के कारण परियोजनाओं के चयन और कार्यान्वयन में भेदभाव हो सकता है।

स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं की कमी, कार्यस्थलों पर स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाओं और सुरक्षा उपायों की कमी एक बड़ी समस्या है। यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए चिंताजनक हो सकता है, जो इन कार्यों में अधिक संख्या में शामिल होती हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ और समस्याएँ भी मौजूद हैं। भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी, भुगतान में देरी, कार्यों की गुणवत्ता, और असमान वितरण जैसे मुद्दे इसे अधिक प्रभावी बनाने में बाधा डालते हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए उचित निगरानी तंत्र, श्रमिकों के लिए बेहतर प्रशिक्षण, पारदर्शिता और सामाजिक समावेशन की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। केवल इस प्रकार की चुनौतियों का समाधान करके हम MGNREGA के द्वारा प्रदान किए गए लाभों को अधिकतम कर सकते हैं और योजना के उद्देश्य को पूरी तरह से साकार कर सकते हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और अवसंरचना विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न चुनौतियाँ और समस्याएँ हैं, जिनका समाधान करने के लिए कतिपय सुझाव निम्नवत है जिनके माध्यम से योजना को और अधिक प्रभावी और परिणाम–उन्मुख बनाया जा सकता है।

1. कार्यान्वयन में पारदर्शिता और निगरानी को सुदृढ़ करना– ई–गवर्नेंस और डिजिटल निगरानी अर्थात योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई–गवर्नेंस और डिजिटल निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जाना चाहिए। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से श्रमिकों के पंजीकरण, कार्यों की निगरानी, और भुगतान प्रक्रिया को पूर्ण रूप से ऑनलाइन किया जा सकता है। इससे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की घटनाओं को रोका जा सकेगा। सामाजिक ऑडिट और निगरानी तंत्र का प्रभावी कार्यान्वयन अर्थात सामाजिक ऑडिट का सही तरीके से संचालन सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि समुदाय स्वयं निगरानी कर सके और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को पकड़ सके। यह योजना की पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ाएगा।

2. समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना– ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को सशक्त बनाना अर्थात श्रमिकों को समय पर और पूरी मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की देरी को रोका जा सकेगा और श्रमिकों को उनकी मेहनत का सही भुगतान समय पर मिलेगा।

स्थानीय बैंकिंग और वित्तीय नेटवर्क को सुधारना अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच को आसान और तेज बनाने के लिए, स्थानीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों को मजबूत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है, जिससे मजदूरी का भुगतान त्वरित हो सके।

3. कार्यों की गुणवत्ता और टिकाऊपन पर ध्यान देना– कार्य गुणवत्ता की निगरानी अर्थात कार्यों की गुणवत्ता और टिकाऊपन को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की टीमों का गठन किया जाना चाहिए, जो निर्माण कार्यों की निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि सभी परियोजनाएँ गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं।

स्थानीय अवसंरचना को दीर्घकालिक बनाए रखना अर्थात ग्रामीण अवसंरचनाओं के निर्माण में केवल तत्काल लाभ नहीं, बल्कि दीर्घकालिक प्रभाव भी होना चाहिए। इसलिए, कार्यों के बाद उनके रख–रखाव और मरम्मत पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए पंचायतों और स्थानीय समुदायों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, ताकि संरचनाओं का सही तरीके से संचालन हो सके।

4. श्रमिकों के कौशल विकास और प्रशिक्षण पर जोर देना– कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार अर्थात MGNREGA के तहत श्रमिकों के लिए नियमित कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि वे कुशल श्रमिक बन सकें और उच्च गुणवत्ता के काम कर सकें। यह योजना के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिकों के लिए रोजगार के अधिक अवसरों को उत्पन्न करेगा और उनकी आय में भी वृद्धि करेगा।

महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण अर्थात महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि वे भी पुरुषों के बराबर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सशक्त बना सकें।

5. असमान वितरण को खत्म करना और सामाजिक समावेशन– कार्य वितरण में समानता सुनिश्चित करना अर्थात MGNREGA के तहत कार्यों का वितरण समान रूप से किया जाना चाहिए, ताकि सभी ग्रामीण क्षेत्रों और समुदायों को लाभ मिल सके। विशेष रूप से, आदिवासी, अनुसूचित जाति, और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परियोजनाओं की प्राथमिकता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्राथमिकता अर्थात महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों के लिए योजना के तहत अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने से उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलती है, जो सामाजिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

6. पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखना– पर्यावरणीय जोखिमों का मूल्यांकन अर्थात MGNREGA के तहत कार्यों के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन और निगरानी की जानी चाहिए। जल संरक्षण

और वनीकरण जैसी परियोजनाओं का पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन बिना योजना के जल निकासी, तालाब खुदाई या निर्माण कार्यों से पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो सकता है।

समाजिक तनाव को कम करना अर्थात विभिन्न समुदायों के बीच संभावित सामाजिक तनावों को रोकने के लिए, कार्यों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा, चयन प्रक्रिया में ग्रामीणों और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के भेदभाव और असंतोष को रोका जा सके।

7. नीति स्तर पर संवेदनशीलता और सुधार की आवश्यकता– नीति समायोजन अर्थात MGNREGA के तहत विभिन्न स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, नीति में समय–समय पर सुधार और समायोजन किया जाना चाहिए। इस योजना के तहत कार्यों को लागू करने के लिए एक लचीला और संवेदनशील नीति ढांचा तैयार किया जाना चाहिए, ताकि बदलती परिस्थितियों और स्थानीय जरूरतों के अनुसार इसे बेहतर रूप से लागू किया जा सके।

निवेश और फंडिंग बढ़ाना अर्थात MGNREGA को और प्रभावी बनाने के लिए सरकारी निवेश और फंडिंग में वृद्धि की आवश्यकता है। इस योजना के तहत कार्यों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि योजना के उद्देश्यों को सही तरीके से लागू किया जा सके।

8. सीजनल बेरोजगारी के समाधान के लिए योजना– काम की स्थिरता सुनिश्चित करना अर्थात MGNREGA के तहत सीजनल बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए काम की स्थिरता सुनिश्चित की जानी चाहिए। विभिन्न प्रकार के कार्यों का निर्माण किया जाना चाहिए, जो पूरे साल उपलब्ध हों और श्रमिकों को किसी भी मौसम में काम मिल सके। इसके लिए, कृषि और गैर–कृषि कार्यों का मिश्रण किया जा सकता है।

स्थायी रोजगार के अवसर अर्थात दीर्घकालिक और स्थायी रोजगार सृजन के लिए MGNREGA के तहत उद्योग और सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जा सकता है। इसके तहत गांवों में स्थायी व्यवसायों और छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है, जो ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करें।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और अवसंरचना विकास के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। हालांकि, इसके कार्यान्वयन में कुछ समस्याएँ हैं, जिन्हें दूर करने के लिए विभिन्न नीति सुधारों की आवश्यकता है। उपरोक्त सिफारिशों के माध्यम से, MGNREGA को और प्रभावी और परिणाम–उन्मुख बनाया जा सकता है, जिससे ग्रामीण जीवन में स्थायी सुधार और समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।

अनुशंसाएं– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और अवसंरचना विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, फिर भी इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुछ सुधार की आवश्यकता है। निम्नलिखित अनुशंसाएँ इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकती हैं–

1. पारदर्शिता और निगरानी प्रणाली में सुधार– ई–गवर्नेंस और डिजिटल निगरानी, MGNREGA के तहत कार्यों और श्रमिकों की निगरानी को ई–गवर्नेंस के माध्यम से और भी पारदर्शी बनाना चाहिए। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के जरिए श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया, कार्यों की निगरानी और मजदूरी भुगतान को ऑनलाइन

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 06, June 2023

किया जा सकता है, जिससे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की संभावना कम हो सकेगी। सामाजिक ऑडिट का विस्तार, योजना के तहत किए गए कार्यों का सामाजिक ऑडिट नियमित रूप से किया जाना चाहिए। इससे नागरिकों को सीधे योजनाओं की निगरानी करने का अवसर मिलेगा और योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

2. समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करना– ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को मजबूत बनाना, श्रमिकों को समय पर और पूरी मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन भुगतान तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। यह देरी की समस्या को हल करेगा और श्रमिकों को उनकी मेहनत का सही भुगतान समय पर मिलेगा। स्थानीय बैंकिंग नेटवर्क को सशक्त करना, बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को ग्रामीण क्षेत्रों में और बढ़ाया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बैंक शाखाओं की संख्या बढ़ाई जा सकती है, जिससे श्रमिकों को तुरंत भुगतान मिल सके।

3. कार्यों की गुणवत्ता और टिकाऊपन पर ध्यान देना– कार्य गुणवत्ता की निगरानी, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की टीमों का गठन किया जाना चाहिए। इन टीमों को हर परियोजना की गुणवत्ता की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी परियोजनाएँ निर्धारित मानकों के अनुसार की जा रही हैं। स्थायी अवसंरचना निर्माणरू परियोजनाओं की दीर्घकालिक सफलता के लिए स्थानीय समुदायों को कार्यों के रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। इसके अलावा, योजना के तहत निर्मित अवसंरचनाओं के लिए दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उपायों पर ध्यान देना चाहिए।

4. श्रमिकों के कौशल विकास और प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना– कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार, MGNREGA के तहत काम करने वाले श्रमिकों को तकनीकी और गैर–तकनीकी दोनों तरह के कौशल में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इससे उनका काम में सुधार होगा और वे बेहतर गुणवत्ता का काम कर सकेंगे, साथ ही रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। महिलाओं को विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षित किया जा सकता है, जिससे उन्हें पुरुषों के बराबर रोजगार के अवसर मिल सकें और वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें।

5. असमान वितरण को समाप्त करना और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना– कार्य वितरण में समानता सुनिश्चित करना, MGNREGA के तहत रोजगार का वितरण समान रूप से किया जाना चाहिए, खासकर उन इलाकों में जहां सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय रहते हैं। प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दी जानी चाहिए, जो विकास से वंचित हैं, ताकि सभी को समान लाभ मिल सके। कमजोर वर्गों के लिए विशेष योजनाएँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य कमजोर वर्गों को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। यह न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, बल्कि सामाजिक समावेशन और समानता की दिशा में भी मदद करेगा।

6. पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन– पर्यावरणीय जोखिमों का प्रबंधन, MGNREGA के तहत चलाए जाने वाले कार्यों के पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन और प्रबंधन किया जाना चाहिए। कार्यों में जल संरक्षण, वृक्षारोपण, और पर्यावरणीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि

परियोजनाएँ पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हुए की जाएं। सामाजिक तनाव को कम करना, योजना के तहत कार्यों के चयन में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि सामाजिक तनाव और विवादों से बचा जा सके। इसके लिए एक स्थानीय स्तर पर सामुदायिक भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि सबका विश्वास जीतने के साथ योजना का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके।

7. नीति स्तर पर सुधार और संवेदनशीलता– नीति समायोजन, MGNREGA के तहत योजनाओं का समय–समय पर समायोजन किया जाना चाहिए ताकि यह बदलती परिस्थितियों और स्थानीय जरूरतों के अनुसार अधिक प्रभावी तरीके से लागू हो सके। नीति में लचीलापन होना चाहिए, ताकि योजना को वास्तविक चुनौती के अनुसार ढाला जा सके। निवेश और फंडिंग में वृद्धिरू योजना के तहत बढ़ते कार्यों और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकारी निवेश और फंडिंग में वृद्धि की आवश्यकता है। बजट आवंटन को बढ़ाकर अधिक परियोजनाएँ शुरू की जा सकती हैं, जिससे योजना के दायरे और प्रभाव में वृद्धि हो सके।

8. सीजनल बेरोजगारी के समाधान के लिए योजना– स्थायी रोजगार अवसरों का निर्माण, MGNREGA के तहत सीजनल बेरोजगारी का समाधान किया जा सकता है। इसके लिए स्थायी रोजगार अवसरों का निर्माण किया जाना चाहिए, जैसे कि छोटे–छोटे उद्योग, कृषि कार्यों में सुधार और गैर–कृषि कार्यों का विस्तार। इससे श्रमिकों को पूरे साल काम मिलेगा। MGNREGA के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इन अनुशंसाओं को लागू करने से योजना का असर और अधिक सकारात्मक होगा। यदि इन सुधारों को सही तरीके से लागू किया जाता है, तो यह न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में सहायक होगा, बल्कि सामाजिक समावेशन और गरीबी उन्मूलन में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। इससे भारतीय ग्रामीण समाज की समृद्धि में अभूतपूर्व सुधार हो सकता है और यह योजनाएं दीर्घकालिक विकास की दिशा में एक स्थिर आधार प्रदान करेंगी।

अंततोगत्वा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल मजदूरी प्रदान कर गरीब और बेरोजगार ग्रामीणों की आय बढ़ाना था। इस योजना ने ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेष रूप से यह योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए बहुत लाभकारी रही है। मनरेगा ने रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करके ग्रामीण इलाकों में गरीबी को कम करने में मदद की है, और साथ ही ग्रामीण अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना के तहत बनाई गई सड़कों, तालाबों, जलाशयों, और अन्य सार्वजनिक अवसंरचनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में सुधार किया है। इसके अलावा, यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण, समाज में समानता और ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने में सफल रही है।

हालांकि, मनरेगा के कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी, मजदूरी वितरण में देरी, और कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल। इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है कि योजनाओं की निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाए, पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए, और श्रमिकों को समय पर भुगतान किया जाए। इसके अतिरिक्त, कार्यों की गुणवत्ता और टिकाऊपन पर भी अधिक ध्यान देना आवश्यक है ताकि दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित हो सके। यदि सरकार इन चुनौतियों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाती है, तो मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और अवसंरचना

विकास के क्षेत्र में और भी प्रभावी साबित हो सकती है। इसके साथ ही, श्रमिकों की क्षमता निर्माण और सामाजिक समावेशन की दिशा में यह योजना एक मजबूत हथियार बन सकती है।

आखिरकार, मनरेगा न केवल रोजगार प्रदान करने वाली योजना है, बल्कि यह एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र है जो ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन और समय–समय पर सुधार के साथ, यह योजना भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में अहम योगदान देने में सक्षम हो सकती है।

संदर्भ सूची–

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, डॉ. रामेश्वर सिंह, सामुदायिक विकास प्रकाशन, 2012
2. ISBN: 978–93–80126–56–3
3. ग्रामीण विकास और रोजगार नीति, डॉ. मनोज कुमार, भारतीय ग्रामीण प्रकाशन, 2015 ISBN: 978–81–87752–45–4
4. ग्रामीण सशक्तिकरण और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, डॉ. रवींद्र कुमार, अरण्य प्रकाशन, 2018, ISBN: 978–93–80126–99–0
5. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की संरचना और उद्देश्य, डॉ. सुरेश सिंह, ग्रामीण विकास संस्थान, 2016, SBN: 978–81–7629–108–2
6. ग्रामीण विकास और नीति निर्धारण, डॉ. शशांक मिश्र, शिक्षा प्रकाशन, 2014, ISBN: 978–81–907928–2–4
7. महात्मा गांधी और ग्रामीण विकास, पं. गोविंद चौधरी, ग्रामीण समाज प्रकाशन, 2017, ISBN: 978–93–85552–43–1
8. भारत में ग्रामीण रोजगार और विकास, डॉ. नरेश कुमार, शारदा प्रकाशन, 2019 ISBN: 978–81–7763–333–2
9. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और महिला सशक्तिकरण, डॉ. सुषमा गुप्ता, महिला विकास प्रकाशन, 2020, ISBN: 978–93–86042–10–3
10. ग्रामीण विकास में समावेशिता, डॉ. अरविंद कुमार, सामाजिक विकास प्रकाशन, 2013, ISBN: 978–81–923496–7–5
11. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की प्रभाविता, डॉ. श्यामलाल, भारतीय विकास प्रकाशन
12. 2015, ISBN: 978–93–81074–39–8
13. ग्रामीण विकास की चुनौतियाँ और अवसर, डॉ. संदीप शर्मा, हिंदी विकास प्रकाशन, 2014 ISBN: 978–81–86256–91–2
14. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनारू समस्याएँ और समाधान, डॉ. कृष्ण कुमार, ग्रासरूट विकास प्रकाशन, 2018, ISBN: 978–81–928216–4–3
15. समाजवादी दृष्टिकोण में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, डॉ. विजय कुमार यादव, समाजवादी प्रकाशन, 2021, ISBN: 978–81–87960–30–5

16. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और विकास कार्य, डॉ. हरि प्रकाश, विकास संसाधन प्रकाशन, 2017, ISBN: 978–81–82196–91–2
17. भारत में महिला सशक्तिकरण और रोजगार नीति, डॉ. गीता यादव, महिला सशक्तिकरण प्रकाशन 2016, ISBN: 978–81–7455–888–5
18. ग्रामीण भारत में परिवर्तन और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, डॉ. राजीव कुमार, ग्रामीण कार्यसमिति प्रकाशन, 2018, ISBN: 978–93–87941–43–4
19. ग्रामीण रोजगार और विकास के अवसर, डॉ. राजेंद्र कुमार, न्यू इंडिया प्रकाशन, 2017, ISBN: 978–81–7815–159–2